रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 1970/वैशाख 7, 1892

No. 84] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 1970/VAISAKHA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April 1970

G.S.R. 665.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies every establishment of—

1. Travel agencies engaged in (i) booking of international air and sea passages and other travel arrangements; (ii) booking of internal air and mail passages and other travel arrangements and (iii) forwarding and clearing of cargo from and to overseas and within India.
2. Forwarding agencies engaged in the collection, packing, forwarding or delivery of any goods including carloading, break-bulk service and foreign freight service.

3. Magnesite Mines, and

4. Stone quarry producing roof and floor slabs, dimension stones, monumental stones and mosaic chips,

in which fifty or more persons are employed, as an establishment to which the said proviso shall apply with effect from the 1st May, 1970.

[No. 15/1/68-PF.II(ii).]

S. T. MERANI, Jt. Secy.

सा० का० नि० 665.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एतद्द्वारा

1. (i) अन्तर्राष्ट्रीय वायु और समुद्र यात्रा और यात्रा के अन्य इंतजाम की बुकिंग II(ii) आन्तरिक वायु और डाक मार्ग और भारत यात्रा के अन्य इंतजाम की बुकिंग और

(iii) विदेश से और को और भारत में स्थोरा के अग्रेषण और निकासी में लगे हुए यात्रा अभिकरण,

2. किसी माल के संग्रह, पैकिंग, अग्रेषण या परिदान जिसमें गाड़ी लदान प्रपुंज वियोजन सेवा और विदेश ढुलाई सेवा सम्मिलित है, में लगे हुए अग्रेषण अभिकरण,

3. मेग्नेसाइट खान, और

4. छत और फर्श की सिल्लियां, आयाम पत्थरों, स्मारकीय पत्थरों और मोजेक के टुकड़े उत्पादित करने वाले पत्थर खान के हर ऐसे स्थान।

जिसमें पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, को ऐसे स्थापन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त परन्तुक, 1 मई, 1970 से लागू होगा।

[सं० 15/1/68 पी० एफ० II(i)]

एस० टी० मीरानी, संयुक्त सचिव।

G.S.R. 666.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies every establishment which is a factory engaged in the manufacture of any of the items mentioned in the Schedule below, and in which fifty or more persons are employed, as an establishment to which the said proviso shall apply with effect from the 1st May, 1970.

SCHEDULE

1. Non-ferrous metals and alloys in the form of ingots;

2. Agarbatee (including dhoop and dhoopbatee).

[No. 15/1/68-PF.II(ii).]

श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 1970

सा० का० नि० 666.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् एतद्द्वारा हर ऐसे स्थापन को जो नीचे की अनुसूची में वर्णित मदों में से किसी के विनिर्माण में लगा हुआ कारखाना है और जिसमें पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित है को ऐसे स्थापन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त परन्तुक, 1 मई, 1970 से लागू होगा ।

अनुसूची

1. सिल के रूप में अलोह धातु और मिश्रधातु ;
2. अगरबत्ती (जिसमें धूप और धूपबत्ती सम्मिलित है)।

[सं० 15/1/68 पी० एफ० II(ii)]

एस० टी० मीरानी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970